न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 120/2021(2021/412)

1. श्रीमति पांची देवी पुत्री स्व0 श्री माधू पत्नी श्री लादू जाति बागरिया निवासी सलारी हाल निवासी देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. श्री रामस्वरूप पुत्र स्व0 शांति देवी पुत्री स्व0 श्री माधू बागरिया निवासी सलारी हाल निवासी बागरियो की ढाणी प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

––प्रार्थीगण

बनाम

3. श्रीमति अलोली पत्नी रामकरण
4. कंचन पुत्री रामकरण
5. श्री कैलाश पुत्र श्री रामकरण
6. श्री किशनलाल पुत्र श्री रामकरण
7. श्रीमति सजनी पत्नी स्व0 श्री गंगाराम
8. श्री रामजस पुत्र स्व0 श्री गंगाराम
9. श्री प्रकाश पुत्र स्व0 श्री गंगाराम
10. श्री सुरेश पुत्र स्व0 श्री गंगाराम
1. श्री सायरी पुत्री स्व0 श्री गंगाराम
11. सीता पुत्री स्व0 श्री गंगाराम
12. श्री चंदाराम पुत्र स्व0 श्री गंगाराम
13. तुलसी पुत्री स्व0 श्री गंगाराम
14. वीना पुत्री स्व0 श्री गंगाराम
15. श्री जयराम पुत्र कालू
16. श्री पोलू पुत्र प्रहलाद
17. श्री बदाम पुत्र रामकरण
18. श्री बाबूलाल पुत्र प्रहलाद
19. श्री भागचंद पुत्र प्रहलाद
20. श्री रतन पुत्र प्रहलाद
21. श्री शारदा पुत्र रामकरण
22. श्री हीरा पुत्र रामकरण समस्त जाति बागरिया निवासीगण विलिया तहसील सरवाड जिला अजमेर।
23. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील केकडी जिला अजमेर।
24. श्रीमान उपपंजीयक महोदय केकडी जिला अजमेर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा– वकील प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

–आदेश–

दिनांक–25.4.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक चाही गई। निम्न वर्णित आराजीयात वाके ग्राम सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
351–321	58	0.15	बारानी 2
	607	0.35	बारानी 3
	608	0.24	बारानी 3
	610	0.16	बारानी 3
	611	0.11	बारानी 3
	612	0.35	बारानी 3
350–321	63	0.61	बारानी 2
	68	0.28	बारानी 2
	69	0.35	बारानी 2
	70	0.35	बारानी 2
	71	0.28	बारानी 2

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

माधू पुत्र श्री कालू बागरिया फोत

⇩

मगदू देवी पत्नी फौत
पांचीदेवी पुत्री

शांति देवी पुत्री फोत

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

रामस्वरूप पुत्र

उक्त प्रकरण में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजीयात है। प्रार्थीगण स्वर्गीय श्री माधू पुत्र कालू बागरिया निवासी बिलियां के विधिक व जायदा वारिसान है। जो काबिज जायदाद चले आ रहे है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगण का 1/5 हिस्सा है। जिस पर प्रार्थीगण अपने क्रमशः स्व0 पिता व नाना श्री माधू बागरिया के जीवन काल से ही एंव उनकी मृत्यु के पश्चात बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात के 1/5 हिस्से मे प्रार्थीगण के अलावा अन्य दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा नही है, न ही वास्ता एंव सरोकार है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है जिसमे अन्य व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगण के 1/5 हिस्से के संयुक्त कब्जेकाश्त मे अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा करने एंव प्रार्थीगण को काश्त नही करने देने की पिछले 1 माह से ही ऐलानियां धमकीयां दी जा रही है। क्योकि प्रार्थीगण के क्रमशः पिता एंव नाना स्वर्गीय श्री माधू बागरिया का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज नही करवाया जा सका। क्योकि प्रार्थीगण अनपढ एंव मजदूर व्यक्ति है जिन्हे उक्त संबंध में कोई जानकारी नही होने के कारण राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण का नाम इन्द्राज नही करवाया जा सका तथा राजस्व अधिकारी एंव कर्मचारियो द्वारा सजरा प्रमाणपत्र लाने पर ही उक्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया जाने बाबत कहा या फिर न्यायालय का आदेश बाबत कहने पर उक्त वादपत्र प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा जबरन बेदखल करते हुए कब्जा करने एंव प्रार्थीगण की बोई हुई फसल को नष्ट भ्रष्ट करने की एलानियां धमकीयां दिनांक 20.08.2021 से ही दी जा रही है। तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि उक्त वाद वर्णित आराजीयात मे 1/5 हिस्सा हमारा है ओर हम उसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। तो नही माने तथा ऐलानिया धमकीयां दी कि राजस्व रिकार्ड मे तुम्हारे नाम का कोई इन्द्राज नही है तथा न ही हम तुम्हारा इन्द्राज होने देंगे। ओर उक्त सम्पूर्ण आराजीयात को बेचान कर देंगे। ओर तुम्हारी जगह भी हम हमारे नाम का नामान्तकरण स्वर्गीय माधू के स्थान पर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवा देंगे। इसलिए घोषणा एंव बंटवारे तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु उक्त वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 के मध्य उपरोक्त हिस्सेवार विधिक रूप से बंटवारा नही होने के कारण प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का हक व हिस्सा है तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 काश्त करने के समय भी आये दिन मनमुटाव व लडाई झगडा होता है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 दिनांक 20.08.2021 से ही उक्त आराजीयात को बिना विधिक बंटवारा किये हुए ही आराजीयात की कीमते अत्यधिक बढ जाने के कारण एंव माईनिंग का कार्य आस पास मे चलने के कारण जमीनो की कीमते बढ जाने से अजनबी व्यक्तियो को बेचान करने पर आमादा है तथा उक्त आराजीयात को बेचान करने के इकरारनामा निष्पादित करने के संबंध मे भी प्रार्थीगण को दलालो से पता चला है एंव प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त मे बाधा पहुंचाने एंव जबरन बेदखल करने की धमकीयां दे रहे है। इस कारण बिना विधिक बंटवारा किये ही उक्त आराजीयात को विक्रय कर दिया जाता है तो अनेकानेक विवाद बढेंगे ओर प्रार्थीगण को अनेकानेक कानूनी पेचीदगीयो उलझना पडेगा इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा एंव घोषणा व बंटवारा किये जाने हेतु उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

लाजमी हुआ है। वारा वाद वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगण का नाम इन्द्राज नही होने के कारण अपाथीगण प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने एव प्रार्थीगण के बाहर रहने के कारण राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियो से मिलीभगती कर फर्जी दस्तावेजात तैयार कर अपने नाम का नामान्तकरण करवाने पर आमादा हो रहे है। जिसके संबंध में प्रार्थीगण ने दिनांक 15.09.2021 को अपाथर्थीगण से उक्त अवैध व गैरकानूनी कार्य नही करने बावत निवेदन किया तो अप्रार्थीगण नही माने ओर एलानियां धमकीयां दी कि उक्त आराजीयात को हम बेचान करेंगे। तथा लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये। तथा अपार्थीगण ने प्रार्थीगण को एलानियां धमकीयां दी कि हम उक्त आराजीयात को बिना विधिक बंटवारा किये ही उक्त आराजीयात को विकय करूंगे। प्रार्थीगण ने खुब मिन्नते की लेकिन अप्रार्थीगण नही माने इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवारे हेतु उक्त वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । तथा अप्रार्थीगण संख्या 22 व 23 को भी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जावे कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 द्वारा उक्त आराजीयात के स्थानान्तरण संबंधी कोई भी दस्तावेजात प्रस्तुत करने पर पंजीबद्ध नही करे। यानि कि राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार का फेरबदल या रद्दोबदल नही करे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद नही किया जाता है तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अवैध व गैरकानूनी तरीके से जबरन बेदखल करते हुए उक्त आराजीयात को बिना विधिक बंटवारा किये हुए ही अन्य अजनबी व्यक्ति को बेचान करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण अपने हक व हिस्से की आराजीयात से वंचित हो जायेगा तथा प्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात होगा। जिसका मुद्रा में मुल्यांकन किया जाना संभव नही है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल करने एंव बिना विधिक बंटवारा किये हुए ही संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात को बेचान करने एंव संयुक्त कब्जे काश्त मे बाधा पहुंचाने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अजहद व अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मुल्यांकन किया जाना संभव नही है। तथा प्रार्थीगण को बहुवाद कार्यवाहीयो मे उलझना पडेगा। अप्रार्थीगण संख्या 22 लेण्डलोर्ड होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थीगण के रूप मे पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 22 व 23 लोकसेवक होने के कारण वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रार्थीगण का वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रार्थीगण को धारा 80(2) जाब्ता दीवानी के नोटिस से छुट दिया जाना व प्रार्थीगण को दावा नियोजित किये जाने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित व आवश्यक है जिसके लिए प्रार्थीगण द्वारा 80(2) जाप्ता दीवानी का अलग से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रार्थीगण का प्राईमा फेसाई केस है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। यदि प्रार्थीगण के पक्ष मे व अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीगण को अजहद व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मुल्यांकन किया जाना संभव नही है। तथा बहुवाद कार्यवाहीयो मे उलझना पडेगा। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण स्वंय व उनके हाली सिरी सगे संबंधी एजेन्ट मुख्तार आम व खास ओर अधिनस्थ कर्मचारी असायनीज को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जावे कि प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 2 मे वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की कोई बाधा नही पहुंचावे तथा न ही बिना विधिक बंटवारा किये हुए उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात को विकय, हस्तान्तरित करे एंव न ही उक्त आराजी की प्रार्थीगण के हक व हिस्से की प्राकृतिक उपज नष्ट करे, न ही उक्त आराजी मे किसी प्रकार के गढ्ढे इत्यादी कर नष्ट भ्रष्ट करे तथा न ही उक्त आराजीयात मे किसी प्रकार का चाह व अन्य निर्माण कार्य करे। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

रिकार्ड मे किसी प्रकार का फेरबदल करे तथा अप्रार्थीगण संख्या 23 को भी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त आराजीयात बावत अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 द्वारा हस्तान्तरण संबंधी दस्तावेजात प्रस्तुत करने पर पंजीबद्ध नही करे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया है

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम व्यादेश बावत सुना गया। प्रकरण मे कानूनी बिन्दू निहित होने से अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम व्यादेश से पावन्द किया गया। कि प्रार्थीगण के रिकॉर्ड व मौका कि यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तिरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। तथा अप्रार्थीगण को जवाब हेतु जरिये रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब नहीं दिये जाने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। अप्रार्थीगण बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहे। उनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी पाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित आराजीयात एवं प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा नही पहुचाये तथा न ही बिना विधिक बंटवारा किये हुए उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात को विकय, हस्तान्तरित करे एंव न ही उक्त आराजी की प्रार्थीगण के हक व हिस्से की प्राकृतिक उपज नष्ट करे, न ही उक्त आराजी में किसी प्रकार के नष्ट करे, न ही उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का चाह व अन्य निर्माण कार्य करे। तथा अप्रार्थी संख्या 23 को भी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजीयात बावत् अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 द्वारा हस्तान्तरण संबंधी दस्तावेजात प्रस्तुत करने पर पंजीबद्व नही करने हेतु पावंद किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner